झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या.....58..... वर्ष 20..23...

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री संजय कुमार साहु
वर्तमान पता - टाटी सिल्वे, राँची

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सह-वि० अनु० पदा०, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, राँची।
वाद सं0–58/2023

आज दिनांक–05.10.2023 को राँची परिसदन भवन में जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री संजय कुमार साहु, (ग्राम–मसरातु, हजारीबाग), वर्तमान पता–टाटीसिलवे, राँची ने उपस्थित होकर कहा कि वे हजारीबाग के निवासी हैं एवं उनका राशन कार्ड आधार नं0 से लिंक है। वे ONORC के तहत् राँची के राशन डीलर से राशन का उठाव करना चाह रहे थे, लेकिन डीलर ने राशन देने से मना कर दिया। तत्पश्चात् शिकायतकर्ता ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित आयोग को भी शिकायत दर्ज कराई है। आयोग में दर्ज कराये गये शिकायत की प्रति दिनांक–01.12.2022 को सदस्य सचिव, आयोग द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, राँची को भेजा गया। जनसुनवाई में उपस्थित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने दिनांक–15.06.2023 को विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन अग्रेसित करते हुए समाधान के लिये लिखा है। बावजूद इसके शिकायतकर्ता के शिकायत का निवारण नहीं किया गया, जैसा कि शिकायतकर्ता का कहना है। आयोग यह मानता है कि ऐसी परिस्थिति यह प्रमाणित कर रहा है कि ONORC योजना के तहत् जो लाभ लाभुकों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है एवं इसके लिये विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी दोषी हैं।

आयोग विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को निर्देश देता है कि वे पूरे जिले के सभी राशन डीलरों को ONORC योजना से सम्बन्धित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएँ, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो। आयोग विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लापरवाही का खामियाजा लाभुक को भुगतने नहीं दे सकता है। ऐसे में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि लाभुक श्री संजय कुमार साहु द्वारा जिस दिन पहला आवेदन दिया गया, उस दिन से अब तक मुआवजा सहित उन्हें राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण 07 दिनों के अन्दर आयोग को प्रेषित करें। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आज के आदेश का अनुपालन में यदि विफल रहे, तो आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करने को बाध्य होगा। इस वाद को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए दिनांक–31.10.2023 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है। दिनांक–31.10.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx64